[Registered Office: G.B. Pant Road, Nainital, Uttarakhand-263001]
CIN No. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in
e-mail ID: cs@nainitalbank.co.in, Phone: 05942-233739

## **NOTICE TO THE MEMBERS**

<u>NOTICE</u> is hereby given that the Ninety Eighth (98<sup>th</sup>) Annual General Meeting ("AGM") of the Members of **The Nainital Bank** Limited ("the Bank") will be held on Thursday, September 10, 2020 at 11:00 A.M. (IST), through Video Conferencing ("VC") or other Audio-Visual Means ("OAVM"), to transact the following businesses:

#### **Ordinary Business**

- 1. To receive, consider and adopt the Annual Financial Statements of the Bank for the Financial Year ended 31<sup>st</sup> March 2020, together with the report of the Directors and Auditors thereon.
- 2. To consider and appoint M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) as the Central Statutory Auditors of the Bank and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following Resolution as an **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 139, 141 and all other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Audit and Auditors) Rules, 2014, Section 30 and all other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time and any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or reenactment(s) thereof, for the time being in force), approval of the members of the Bank be and is hereby accorded to the appointment of M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N), as the Central Statutory Auditors of the Bank in place of M/s. PSMG & Associates Chartered Accountants, the retiring Central Statutory Auditors of the Bank; for a period of one (1) year i.e. to hold office from the conclusion of the Ninety Eighth (98th) Annual General Meeting until the conclusion of the Ninety Ninth (99th) Annual General Meeting, subject to approval of RBI and on such terms and conditions, including remuneration, as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with the Central Statutory Auditors and approved by the Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Chief Operating & Financial Officer of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to take all necessary and required steps, to make the resolution effective."

## Special Business

3. To appoint Mrs. Binita Shah (DIN 01538965) as Non-Executive - Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder; Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification (s), variation(s) or re-enactment (s) thereof, for the time being in force) Mrs. Binita Shah (DIN: 01538965) who was appointed as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) w.e.f. December 17, 2019 be and is hereby appointed as a Non-Executive Independent Director of the Bank to hold office for -5- (five) years i.e. from December 17, 2019 to December 16, 2024 (both day inclusive) and that she shall not be liable to retire by rotation and that she shall be eligible for sitting fees, reimbursement of expenses for attending Board and Committee meetings and profit related commission if any as permissible under relevant RBI guidelines, applicable provisions of Companies Act, 2013 and approved by Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

4. To appoint Mr. Sanjay Mudaliar (DIN 07484086) as Non-Executive - Non-Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014; Section 10A and other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr. Sanjay Mudaliar (DIN 07484086) who was

appointed as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) with effect from December 17, 2019 and who holds office as such upto the date of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as a Non-Executive-Non-Independent Director of the Bank and that he shall be liable to retire by rotation."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

#### 5. To appoint Mr. N.K. Chari (DIN 07409731) as Non-Executive - Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 read with Schedule IV of the Companies Act, 2013 and rules made thereunder; Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification (s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force) Mr. N.K. Chari (DIN: 07409731) who was appointed as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination and Remuneration & Human Resource Committee (NRHR) w.e.f. June 08, 2020 be and is hereby appointed as a Non-Executive-Independent Director of the Bank to hold office for -5- (five) years i.e. from June 08, 2020 to June 07, 2025 (both days inclusive) and that he shall not be liable to retire by rotation and that he shall be eligible for sitting fees, reimbursement of expenses for attending Board and Committee meetings and profit related commission if any as permissible under relevant RBI guidelines, applicable provisions of Companies Act, 2013 and approved by Board of Directors of the Bank."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

## 6. To appoint Mr. Joydeep Dutta Roy (DIN 08055872) as Non-Executive - Non-Independent Director.

To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to the provisions of Section 149, 152 and other applicable provisions of the Companies Act, 2013, read with the Companies (Appointment and Qualification of Directors) Rules, 2014; Section 10A and other applicable provisions of the Banking Regulation Act, 1949 and the rules, guidelines and circulars issued by the Reserve Bank of India ("RBI") in this regard from time to time; any other applicable laws (including any statutory amendment(s), modification(s), variation(s) or re-enactment(s) thereof, for the time being in force), Mr. Joydeep Dutta Roy (DIN 08055872) who was appointed as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank by the Board of Directors based on the recommendations of the Nomination & Remuneration and Human Resource Committee (NRHR) with effect from August 07, 2020 and who holds office as such upto the date of this Annual General Meeting, be and is hereby appointed as a Non-Executive-Non-Independent Director of the Bank and that he shall be liable to retire by rotation."

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Company Secretary of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to execute all such agreements, documents, instruments and writings as deemed necessary, file requisite forms or applications with statutory/regulatory authorities and to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

## 7. To consider and if thought fit, to pass with or without modification(s), the following resolution as **Ordinary Resolution**:

"RESOLVED THAT the Board of Directors be and is hereby authorised to appoint from time to time, in consultation with the Central Statutory Auditors, on such remuneration and on such terms and conditions, as the Board may deem fit, persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank under Section 143 (8) of the Companies Act, 2013 to audit the accounts of the Branch Offices of the bank for the year ending 31<sup>st</sup> March, 2021 subject to prior approval of the Reserve Bank of India".

"RESOLVED FURTHER THAT the Chairman & C.E.O. and Chief Operating & Financial Officer of the Bank, be and are hereby severally/jointly authorised to do all such acts, deeds and things as may be considered necessary and appropriate to make the resolution effective."

## **MEMORANDUM OF INTEREST**

Regarding Item No. 3, 4, 5, and 6 the respective Directors are interested only in so far as their appointment is/are concerned.

By Order of the Board of Directors

Place: Nainital

Date: August 19, 2020

(Dinesh Pant) Chairman & C.E.O.

#### ANNEXURE TO THE NOTICE

#### Explanatory statement pursuant to section 102 of the Companies Act, 2013

#### Item No. 2.

The Members of the Bank in previous Annual General Meetings (AGMs), subject to the approval of Reserve Bank of India, appointed M/s. PSMG & Associates, Chartered Accountants (Firm Registration No. 008567C) as Central Statutory Auditors for a total period of four -4- years and to hold office till the conclusion of 98<sup>th</sup> Annual General Meeting. The term of M/s. PSMG & Associates, Chartered Accountants will expire at the conclusion of this 98<sup>th</sup> Annual General Meeting of the Bank and therefore, it is proposed to appoint M/s Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) as Bank's new Central Statutory Auditor in place of M/s PSMG & Associates, Chartered Accountants, the retiring Central Statutory Auditor of the Bank and that M/s Dharam Raj & Company, Chartered Accountants shall hold office as Central Statutory Auditor for a period of one (1) year i.e. from the conclusion of the Ninety Eighth (98<sup>th</sup>) Annual General Meeting until the conclusion of the Ninety Ninth (99<sup>th</sup>) Annual General Meeting, subject to the approval of Reserve Bank of India.

M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants (Firm Registration No. 014461N) have confirmed their eligibility under Section 141 of Companies Act, 2013 to be appointed as Central Statutory Auditors of the Bank. The Statutory Auditors have also confirmed that they had subjected themselves to the peer review process of the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and they hold a valid certificate issued by the Peer Review Board of ICAI. Further, they have confirmed that they fulfil the eligibility norms for appointment of Central Statutory Auditor of Private Sector Banks as prescribed by Reserve Bank of India ("RBI"). M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants have total experience of 23 years including Bank Audits. M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants was also associated as Central Statutory Auditor of a private sector bank in the past. The terms and conditions related to appointment of M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants, including their remuneration, shall be as may be determined and recommended by the Audit Committee of Board in consultation with them (Auditor) and approved by the Board of Directors of the Bank. Based on the above the Board of the Bank is of the opinion that M/s. Dharam Raj & Company, Chartered Accountants fulfils all the criteria as laid down by the Companies Act, 2013 and it is desirable to appoint them as the Central Statutory Auditors of the Bank for a period of one (1) year from the conclusion of the 98th Annual General Meeting to the conclusion to the members for approval.

#### Item No. 3.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on December 17, 2019 approved the appointment of Mrs. Binita Shah as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank for an initial period of five (5) years. Mrs. Binita Shah is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, she is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given her consent to act as a Director of the Bank. She also fulfils the Independent criteria as laid under the Companies Act, 2013.

Mrs. Binita Shah has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial to the Bank. The brief profile of Mrs. Binita Shah has been provided as an Annexure to this Notice. Mrs. Binita Shah is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 3 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mrs. Binita Shah and her relatives (if any), none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 3 of this Notice.

## Item No. 4.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on December 17, 2019 approved the appointment of Mr. Sanjay Mudaliar as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of this Annual General Meeting. Mr. Sanjay Mudaliar is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, he is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given his consent to act as a Director of the Bank. He shall be liable to retire by rotation.

Mr. Sanjay Mudaliar has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial for the Bank. The brief profile of Mr. Sanjay Mudaliar has been provided as an Annexure to this Notice. Mr. Sanjay Mudaliar is a General Manager in Bank of Baroda.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 4 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. Sanjay Mudaliar, his relatives (if any) and Bank of Baroda and its nominees, none of the other Director or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 4 of this Notice.

#### Item No. 5.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on June 08, 2020 approved the appointment of Mr. N.K. Chari as a Non-Executive-Additional Independent Director of the Bank for an initial period of five (5) years. Mr. N.K. Chari is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, he is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given his consent to act as a Director of the Bank. He also fulfils the Independent criteria as laid under the Companies Act, 2013.

Mr. N.K. Chari has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial for the Bank. The brief profile of Mr. N.K. Chari has been provided as an Annexure to this Notice. Mr. N.K. Chari is not related to any other Director or Key Managerial Personnel of the Bank.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 5 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. N.K. Chari and his relatives (if any), none of the other Directors or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 5 of this Notice.

#### Item No. 6.

Pursuant to the recommendation of the Nomination and Remuneration & HR Committee (NRHR), Board of Directors in meeting held on August 07, 2020 approved the appointment of Mr. Joydeep Dutta Roy as a Non-Executive-Additional Non-Independent Director of the Bank to hold office as such upto the date of this Annual General Meeting. Mr. Joydeep Dutta Roy is found fit and proper to be appointed as a Director of the Bank as per the norms prescribed by the Reserve Bank of India. Further, he is also not disqualified from being appointed as a Director as per section 164 of the Companies Act, 2013 and has given his consent to act as a Director of the Bank. He shall be liable to retire by rotation.

Mr. Joydeep Dutta Roy has the requisite qualification, skills, experience and expertise in specific functional areas in terms of Section 10A of the Banking Regulation Act, 1949, which shall be beneficial for the Bank. The brief profile of Mr. Joydeep Dutta Roy has been provided as an Annexure to this Notice. Mr. Joydeep Dutta Roy is a Chief General Manager in Bank of Baroda.

Your Directors, therefore, recommend the agenda as ordinary resolution, as set forth in Item No. 6 of this Notice, for the approval of the Members. Except for Mr. Joydeep Dutta Roy, his relatives (if any) and Bank of Baroda and its nominees, none of the other Director or the Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives are in any way interested in the passing of the Ordinary Resolution as set out in Item No. 6 of this Notice.

#### Item No. 7.

It is not practicable to have all the branch offices audited by the Central Statutory Auditors. It is, therefore, proposed that Board of Directors be authorised to appoint persons qualified for appointment as Branch Auditors of the Bank, for the branches which are not audited by the Central Statutory Auditors, as the Board may deem fit, in consultation with the Central Statutory Auditors.

None of the Directors or Key Managerial Personnels (KMP) or relative/s of Director/s and KMP is/are concerned or interested in the Resolutions of the accompanying Notice.

## **NOTES**

- a) An Explanatory Statement pursuant to Section 102(1) of the Companies Act, 2013 pertaining to Item No. 2 to 7 to be transacted at the Annual General Meeting ("AGM") is annexed hereto.
- b) In view of the situation arising due to COVID-19 global pandemic, social distancing is a norm to be followed, Ministry of Corporate Affairs ("MCA") vide its Circular No. 20/2020 dated May 5, 2020 w.r.t. Clarification on holding of Annual General Meeting ("AGM") through video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means ("OAVM") read with Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13, 2020 (collectively referred to as "MCA Circulars") permitted the holding of the AGM through video conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means (OAVM) and dispensed personal presence of the Members at the common venue during AGM. In compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") and MCA Circulars, the AGM of the Bank shall thus be held through VC/OAVM. Hence, the Members can attend and participate in the ensuing AGM through VC/OAVM. The deemed venue for the 98th AGM shall be the Corporate Office of the Bank at Nainital.
- c) A proxy is allowed to be appointed under section 105 of the Companies Act, 2013 to attend and to vote at General Meeting on behalf of a Member who is not able to attend personally. However, in compliance with the MCA Circulars, there is no requirement of appointment of proxy for this AGM, since for the AGM under this framework physical attendance of the Members in any case has been dispensed with. Hence, instructions related to proxy and proxy form are not provided in this Notice. However, in pursuance of section 112 and section 113 of the Companies Act, 2013, the representatives of the Corporate Members may be appointed for the purpose of voting through remote e-voting or for participation and voting at the AGM to be held through VC or OAVM.
- d) The Register of Members and Share Transfer Book of the bank will remain closed from September 04, 2020 to September 10, 2020 (both days inclusive).
- e) In case of Joint holders attending the AGM, only such joint holder whose name appears first in order of names will be entitled to vote. Corporate Members are requested to send a duly certified copy of the Board Resolution authorising their representative(s) to attend and vote on their behalf at the AGM.

- f) The Bank did not declare any Dividend for the F.Y. 2019-20. Further, pursuant to Circular no. DOR.BP.BC.No.64/21.02.067/2019-20 dated April 17, 2020 RBI directed all banks to not make any further dividend pay-outs from the profits pertaining to the Financial Year ended March 31, 2020 until further instructions.
- g) Shareholders who have not encashed the dividend warrants for the Financial Years 2012-2013 to 2018-2019 are requested to immediately forward the same to the bank for revalidation. Further, as per section 124(6) of Companies Act, 2013 read with Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer & Refund) Rules, 2016, the equity shares in respect of which the Dividend has not been claimed for seven consecutive years shall be transferred by the Bank to the designated demat account of the IEPF Authority. Members may note that both the unclaimed dividend and corresponding shares transferred to Demat account of IEPF Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back from the IEPF Authority after following the procedure prescribed under IEPF Rules.
- h) Members are requested to intimate the bank or RTA for changes, if any, in their registered address, email and other details at an early date quoting their folio number.
- i) Since the AGM shall be held through VC or OAVM, hence the requirement of providing the Route Map and Landmark for the venue of the AGM in the notice does not apply to this AGM.
- j) Questions/queries relating the bank's Annual Accounts and other public disclosures, be intimated to the undersigned at least 3 days in advance excluding the day of the meeting so as to enable the bank to keep the information ready.
- **k)** All documents referred to in the accompanying Notice and the explanatory Statement shall be open for inspection at the Corporate Office of the bank during the business hours on all working days upto the date of Annual General Meeting if there is no restriction in the area due to Covid-19.
- I) In compliance with the provisions of Section 101 of the Companies Act, 2013 read with Rule 18 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, this Notice and the Annual Report of the Bank will only be sent by e-mail. We, therefore request the Members to register their email ID with their DP (in case of electronic shareholding) or with Karvy (in case of physical shareholding) or bank mentioning your demat account/Folio no(s).
- m) The shareholders may write to the following address regarding transfer of shares held in physical form or for conveying their grievances, if any, at below mentioned addresses:

CIN: U65923UR1922PLC000234

## **Corporate Office**

Company Secretary
The Nainital Bank Limited

Seven Oaks Building, Mallital, Nainital-263001

Website: www.nainitalbank.co.in Phone No.: 05942-233739 Email: cs@nainitalbank.co.in M/s Karvy Fintech (P) Limited Karvy Selenium Tower B, Plot 31-32, Gachibowli,

Financial District, Nanakramguda,

Hyderabad - 500 032.

Phone No.: 1800-345-4001 /+91-40-6716 2222

Fax No. : +91-40 – 2300 1153 Email: hanumantha.patri@karvy.com

Contact Persons: Shri Hanumantha Shri Vinod Singh Negi

## n) Remote E-Voting:

- (i) In compliance of Section 108 of the Companies Act, 2013, read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended, the Bank is pleased to provide remote e-voting facility through M/s Karvy Fintech (P) Limited, to enable its Members to cast their votes electronically on all the items as set out in this Notice. Remote e-voting is optional.
- (ii) The Bank has appointed Ms. Jaya Yadav, Practising Company Secretary (Membership No. A24582, COP-12070) or failing her Mr. Himanshu Gupta, Practising Advocate (Membership No. D/3139/2014) as the Scrutinizer for conducting the remote evoting process in a fair and transparent manner.
- (iii) The voting rights of the shareholders shall be in proportion of their shareholding to the total issued and paid up equity share capital of the Bank as on the cut-off date viz. September 03, 2020 subject to the provisions of Section of the Banking Regulation Act, 1949 and RBI Circular No. 97/16.13.100/2015-16 dated 12<sup>th</sup> May 2016.
- (iv) A person who is not a Member as on the said cut-off date, will not be entitled to vote and should treat this Notice, for information purpose only.
- (v) The instructions for remote e-voting, are as under:
  - In case of Members receiving Notice by e-mail:
  - ✓ Enter the login credentials (i.e., User ID & Password) mentioned in the e-mail, your Folio No. / DP ID & Client ID will be your USER ID. Please note that the password is an initial password.
  - ✓ Use the following URL for remote e-voting: From Karvy website: http://evoting.karvy.com
  - ✓ Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically.
  - ✓ Enter the login credentials. Your Folio No/DP ID & Client ID will be your user ID.
  - ✓ After entering the details appropriately, click on LOGIN.
  - ✓ On the voting page, enter the number of shares as on the said cut-off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially any number in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed your total shareholding, as on the said cut-off date. You may also choose the option ABSTAIN.
  - ✓ Shareholders holding multiple folios/demat account shall choose the voting process separately for each folios/demat account.
  - Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, Shareholders can login any number of times till they have voted on the Resolution.
  - Once the vote on the Resolution is cast by the shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently.
  - The remote e-voting period shall commence on **September 07**, **2020** (09:00 A.M.) and will end on **September 09**, **2020** (5:00 P.M.). During this period Shareholders' of the Bank, holding shares either in physical form or in

dematerialized form, as on the cut-off date of **September 03, 2020**, may cast their vote electronically. The remote evoting module shall be disabled by Karvy for voting thereafter. Once the vote on a Resolution is cast by the Shareholder, he/she shall not be allowed to change it subsequently. Further, the Shareholders who have cast their vote electronically may also attend the Meeting, however they shall not be able to vote again at the Meeting.

- ✓ Please contact Karvy Computershare Private Limited or Mr. Hanumantha or Mr. Vinod Singh Negi for any clarification regarding e-voting.
- In case of Members receiving Notice by Post/Courier:

Initial password is provided, as below, in the attendance slip of the Meeting.

The production of the producti	in the children of the children in the children	
EVENT		
(E-Voting Event Number)	USER ID	PASSWORD/PIN

- ✓ Please follow the steps stated above, to cast your vote by electronic means.
- vi. The Results shall be communicated to the shareholders in accordance with Secretarial Standards-2 on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India and will be uploaded on the Bank's website i.e. www.nainitalbank.co.in. The Results will also be displayed at the Registered and Corporate Offices of the Bank.

#### MEMBERS MAY PLEASE NOTE THAT NO GIFTS/COUPONS WILL BE DISTRIBUTED/DISPATCHED.

By Order of the Board of Directors

Place: Nainital Date: August 19, 2020 (Dinesh Pant) Chairman & C.E.O.

# <u>Details of Director/s seeking appointment/re-appointment at the Annual General Meeting in terms of the Secretarial Standard on General Meetings (SS-2).</u>

Name	Mrs. Binita Shah	Mr. Sanjay Mudaliar	Mr. N.K. Chari	Mr. Joydeep Dutta Roy
DIN No.	01538965	07484086	07409731	08055872
Date of Appointment	17.12.2019	17.12.2019	08.06.2020	07.08.2020
Education Qualification	She possess degree of Bachelors in Arts from Devi Ahilya Vishwavidyala , Indore, Masters in Journalism and Communications from Devi Ahilya Vishwavidyala , Indore and Masters in Ecology & Environment from Sikkim Manipal University  Leads SARG Vikas Samiti, a	He is a Graduate in Science from Bhopal University. He did further specialization in Computer Science and Technology from Nagpur University. He also has a formal training & certification in Project Management "Prince2" from Ministry of Commerce, United Kingdom.  He is having varied	He possesses degree from Shriram College of Commerce, Delhi University, Masters in Commerce, Delhi University, India, Certified Associate of the Indian Institute of Bankers and Award in General Business (Finance) from University of California, Los Angeles (Extension), USA	He holds an Honours degree in Economics from Delhi University, besides being a law graduate and an MBA in HR from the Narsee Monjee Institute of Management Studies in Mumbai. He is also a certified assessor for the Confederation of Indian Industry (CII)'s annual HR Excellence Awards.  Joydeep Dutta Roy, a
including expertise	not for profit organization since 2005 for the promotion of Organic and Biodynamic Agriculture across three states of the country. SARG works with 100,000 farmers country wide. SARG is a training partner with the Skill Development Mission, Uttarakhand as well as with the National Skill Development Council, GOI since 2016. SARG is a Regional Council & Service Provider for Paramparik Krishi Vikas Yojna (PKVY) for Organic Agriculture in Maharashtra, Uttarakhand & MP.  She is Secretary, Sustainable Development Forum Uttarakhand. Independent consultant with Uttarakhand Agriculture Marketing Board. International Consultant with number of Organic Food Export companies. Founder member Biodynamic Association of India, Bangalore. Founder member All India Biodynamic and Organic Association of India, Indore. India Representative in 'Circle of Representatives', International Biodynamic Forum, Geotheanum, Switzerland. Consultant with UNDP State office Uttarakhand for preparation of Strategy for Organic Uttarakhand 2018-19  She is also Founder member and CEO of the (first ever in the country) State Uttarakhand Organic Commodity Board	experience in Software industry, Manufacturing unit, NGO working on scientific research in human settlement. In these assignments, he worked in the areas of data analysis, technology deployment and process improvement. Subsequently, he joined Banking sector and had two distinct stints in State Bank of Travancore and Bank of Baroda.  In banking, he had an opportunity to work in technology as well as banking operations. He had a privilege of starting Digital Banking and e-Banking verticals in Bank of Baroda. He also had a four years stint in London as Head of Technology. He had worked as Regional Manager at Mumbai and Deputy Zonal Manager at Bengaluru. He is currently heading the International Technology Operations of Bank of Baroda.	around 39 years in operations, credit, branch banking, performance budgeting, monitoring and control over branches and regions in various capacities during his service in State Bank of India. He handled Retail and Corporate Credit in both domestic and international scenarios and was also part of HR management in SBI. During his service in SBI, he held the position of MD of Nepal SBI Ltd., Kathmandu and also held Directorships in two subsidiaries of SBI, SBI Cards and Payment Services (Credit Card Company) and SBI Capital Market Securities (Dealing in Securities Market). He also held the position of the Managing Director of State Bank of Mysore (SBM) an Associate of SBI on deputation and after returning to SBI he retired from SBI as Deputy	career Banker for around 25 years, is currently the Chief General Manager incharge of Strategic HR, Subsidiaries and Joint Ventures at Bank of Baroda, one of India's premier public sector Banks. Having joined Bank of Baroda as an HR specialist, he has handled a variety of HR functions in the Bank, across levels and has been instrumental in spearheading many marquee HR projects and initiatives for the Bank. He had successfully initiated and implemented various Business projects for the Bank viz. Business Process Reengineering Project, Project Navnirmaan, Project Udaan, a comprehensive HR Transformation Project called SPARSH, etc.  He has also had very successful stints as the Regional Head of (BOB) Bank's Dehradun and Bareilly Regions.
Directorships held	(UOCB), Dehradun.  Supa Biotech Private Limited	Nil	Nil	Nil
in other companies				
Disclosure of relationships between Directors inter-se	Not related to any of the Directors of the Bank	Not related to any of the Directors of the Bank. Belongs to Bank of Baroda	Not related to any of the Directors of the Bank	Not related to any of the Directors of the Bank. Belongs to Bank of Baroda.
Number of shares held in the Bank as on 31.03.2020	Nil	150	Nil	150

[पंजीकृत कार्यालय: जी.बी.पंत रोड, नैनीताल, उत्तराखंड-263001] सीआईएन नं. U65923UR1922PLC000234, website: www.nainitalbank.co.in

ईमेल आईडी: cs@nainitalbank.co.in, फोन: 05942-233739

## <u>सदस्यों के लिए सुचना</u>

यह नोटिस दिया जाता है कि दि नैनीताल बैंक लिमिटेड (बैंक) के सदस्यों की 98वीं वार्षिक साधारण बैठक (एजीएम) नीचे दिए गये कार्यों के लिए दिनांक 10 सितंबर, 2020 ग्रूक्वार को प्रातः 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रंसिंग (वीसी) या अन्य ऑडियो-विज्ञ्ञल ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजित की जाएगी.

#### सामान्य कारोबार

- 1. 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के वार्षिक वित्तीय विवरण पर निदेशकों और लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट प्राप्त करना, उस पर विचार करना और उसे अपनाना.
- 2. मेसर्स धरमराज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461एन) को उपयुक्त पाए जाने पर बैंक के केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में नियुक्त करना, इसे संशोधन(संशोधनों) के साथ या बिना निम्नलिखित सामान्य संकल्प को संकल्प के रूप में परित करनाः

"पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139, 141 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, उसके तहत बने संबंधित नियमों के साथ पठित, धारा 30 और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के सभी अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो), बैंक के सदस्यों के अनुमोदन के अनुसार, इसके द्वारा मेसर्स पीएसएमजी एंड एसोसियेट्स सनदी लेखाकर, बैंक में केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक की सेवा की समाप्ति पर, उनके स्थान पर मेसर्स धरमराज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461N) को केन्द्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में एक(1) वर्ष की अविधि के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन और उन नियम एवं शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है अर्थात् वे 98वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से 99वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पदभार संभालेंगे, इन शर्तों में उनका पारिश्रमिक भी शामिल है जैसा कि बोर्ड की लेखा परीक्षा सिमिति द्वारा अनुमोदन और केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षकों के परामर्श तथा बैंक के निदेशक मंडल की मंजूरी के अनुसार तय होगी.

"यह पारित किया जाता है कि बैंक के अध्यक्ष एवं सीईओ, और मुख्य परिचालन तथा वित्तीय अधिकारी, एतदद्वारा संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक और अपेक्षित निर्णय लेने के लिए पृथक/संयुक्त रूप से प्राधिकृत हैं।"

## विशिष्ट कारोबारः

## 3. श्रीमती बिनीता शाह (डीआईएन 01538965) को गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसके तहत बने नियमों के साथ पठित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिवत, जो वर्तमान समय में लागू हो) के अनुसार श्रीमती बिनीता शाह (डीआईएन 01538965) को निर्देशक मंडल द्वारा नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) की सिफारिश के आधार पर बैंक के गैर- कार्यपालक— अतिरिक्त स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा 17 दिसंबर, 2019 से बैंक के गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वे -5- (पांच) वर्ष तक पदभार संभालेंगी अर्थात् दिसंबर 17, 2019 से दिसंबर 16, 2024 तक (दोनों दिवसों सिहत) और वो रोटेशन पर भी सेवा से पद से मुक्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगी और सिटिंग फीस, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए और संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और बैंक के निर्देशक मंडल के द्वारा अनुमोदन के अंतर्गत अनुमत अनुमात संबंधी कमीशन, यदि कोई हो, के लिए पात्र होंगी।"

"यह पारित किया जाता है कि "अध्यक्ष और सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथाआवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

#### श्री संजय मृदिलियार (डीआईएन 07484086) को गैर-कार्यपालक - गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

निम्निलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः "पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और पात्रता) नियम, 2014 के साथ पठित, वैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो), के अनुसार इसके द्वारा श्री संजय मुदलियार (डीआईएन 07484086) जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिनित (एनआरएचआर) सिफारिश के आधार पर 17 दिसंबर 2019 से बैंक के गैर-कार्यपालक - अतिरिक्त-गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में

नियुक्त किया गया था और वे इस वार्षिक आम बैठक की तारीख तक पदभार संभाले हुए हैं, उन्हें एतदद्वारा बैंक का गैर-कर्यपालक-गैर-स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और रोटेशन पर वो इस कार्य से मुक्त होने के लिए बाध्य होंगे।"

"यह पारित किया जाता है कि "अध्यक्ष और सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथाआवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

## 5. श्री एन.के. चारी (डीआईएन 07409731) को गैर-कार्यपालक - स्वतंत्र निदेशक नियुक्त करने के लिए।

निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पिरत किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV और उसके तहत बने नियमों के साथ पिठत, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो), के अनुसार श्री एन.के.चारी (डीआईएन: 07409731) को नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) के अनुमोदन के आधार पर 8 जून 2020 से बैंक के गैर- कार्यपालक— अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था, उन्हें एतदद्वारा बैंक के गैर-कार्यपालक स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाता है, वे पांच (05) वर्ष तक पदभार संभालेंगे अर्थात् 08 जून 2020 से 07 जून 2025 तक (दोनों दिवसों सिहत) और वो रोटेशन पर भी सेवा से पद से मुक्त होने के लिए बाध्य नहीं होंगे और सिटिंग फीस, बोर्ड की बैठकों में भाग लेने के लिए खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए और संबंधित आरबीआई दिशानिर्देशों, कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों और बैंक के निदेशक मंडल के द्वारा अनुमादन के अंतर्गत अनुमत अनुसास संबंधी कमीशन, यदि कोई हो,के लिए पात्र होंगे।"

"यह पारित किया जाता है कि "अध्यक्ष और सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथाआवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक/ संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

## 6. श्री जयदीप दत्ता राय (डीआईएन 08055872) को गैर-कार्यपालक - गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करना।

निम्नलिखित संकल्प पर **सामान्य संकल्प** के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149, 152 और अन्य सभी लागू प्रावधानों, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और पात्रता) नियम, 2014 के साथ पठित, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10ए और अन्य लागू प्रावधानों और भारतीय रिजर्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा इस संबंध में, समय-समय पर जारी किये गए नियमों, दिशानिर्देशों और परिपत्रों, और किसी भी अन्य लागू कानूनों (किसी भी वैधानिक संशोधन, उपांतरण, परिवर्तन या पुनः अधिनियमन सिहत, जो वर्तमान समय में लागू हो), के अनुसार, इसके द्वारा श्री जयदीप दत्ता राय (डीआईएन 08055872) जिन्हें नामांकन और पारिश्रमिक एवं मानव संसाधन सिमित (एनआरएचआर) के अनुमोदन के आधार पर 7 अगस्त 2020 से बैंक के गैर-कार्यपालक- अतिरिक्त गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया था और वे इस वार्षिक आम बैठक की वर्तमान तारीख को पदभार संभाले हुए हैं, उन्हें एतदद्वारा बैंक का गैर-कर्यपालक- गैर-स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किया जाता है और रोटेशन पर वो इस कार्य से मुक्त होने के लिए बाध्य होंगे।"

"यह पारित किया जाता है कि "अध्यक्ष और सी.ई.ओ. और बैंक के कंपनी सचिव, इस तरह के सभी यथाआवश्यक समझौतों, दस्तावेजों, लिखतों और लेखन को निष्पादित करने के लिए पृथक रूप से / संयुक्त रूप से वैधानिक / नियामक अधिकारियों के साथ अपेक्षित आवेदन फाइल करने और और ऐसे सभी कार्य, कार्रवाई को करने के लिए अधिकृत हैं जो कि संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक और उचित माना जा सकता है।"

#### 7. निम्नलिखित संकल्प पर सामान्य संकल्प के रूप में विचार करने और यदि उचित पाया जाए तो इसे संशोधित कर अथवा बिना संशोधन के पारित करनाः

"पारित किया जाता है कि निदेशक मंडल केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों से परामर्श करके, इस तरह के पारिश्रमिक पर और ऐसे नियम और शर्तों पर, जैसे मंडल उचित समझता हो, समय समय पर, ऐसे व्यक्तियों को, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (8) के तहत 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, बैंक के शाखा कार्यालयों के खातों का लेखा परिक्षण करने के लिए नियुक्त किये जाने के योग्य हो, भारतीय रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहकर, नियुक्त करने के लिए एतद् द्वारा अधिकृत है और किया जाता है।".

"यह पारित किया जाता है कि बैंक के अध्यक्ष एवं सीईओ, और मुख्य परिचालन तथा वित्तीय अधिकारी, एतदद्वारा संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सभी आवश्यक और अपेक्षित निर्णय लेने के लिए पृथक/संयुक्त रूप से प्राधिकृत हैं।"

#### अभिरुचि ज्ञापन

मद संख्या 3, 4, 5 और 6 के संबंध में सम्बंधित निदेशक केवल उस सीमा तक तक इच्छ्क होंगे जहां तक यह उनकी निय्क्ति से संबन्धित है ।

निदेशक मंडल के आदेशान्सार

स्थान: नैनीताल

तारीख: 19 अगस्त, 2020

(दिनेश पंत) अध्यक्ष एवं सीईओ

## सूचना संबंधी अनुलग्नक

## कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 के संबंध में व्याख्यात्मक विवरण

## मद संख्या 2

पिछली वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में बैंक के **सदस्यों ने**, भारतीय रिज़र्व बैंक के अनुमोदन के अधीन मेसर्स पीएसएमजी एंड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 008567 सी) को केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षकों के रूप में कुल -4- वर्षों के लिए नियुक्त किया था और जो 98वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक पद पर कार्यरत हैं, और 98वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति के बाद मेसर्स पीएसएमजी एंड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा. यह प्रस्ताव किया गया है कि बैंक की सेवा से मुक्त होने वाले पीएसएमजी एंड एसोसियेट्स, सनदी लेखाकार, के स्थान पर मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461एन) को बैंक का नया केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाए, और मेसर्स धरम राज एंड कंपनी सनदी लेखाकार केन्द्रीय वैधानिक लेखापरीक्षक के रूप में एक -1- वर्ष के लिए अर्थात् 98वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति से 99वीं वार्षिक आम बैठक की समाप्ति तक, भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन बैंक की सेवा से जुड़े रहेंगे.

मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार (फर्म पंजीकरण संख्या 014461एन) ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 के तहत बैंक के केंद्रीय सांविधिक लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किए जाने की अपनी पात्रता की पुष्टि की है। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने यह भी पुष्टि की है कि उन्होंने खुद को भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया के अधीन प्रस्तुत किया और वे आईसीएआई के पीयर रिव्यू बोर्ड द्वारा जारी एक वैध प्रमाण पत्र रखते हैं। इसके अलावा, उन्होंने पुष्टि की है कि वे भारतीय रिज़र्व बैंक ("आरबीआई") द्वारा निर्धारित निजी क्षेत्र के बैंकों के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक की नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं। मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार को बैंक ऑडिट सिहत 23 वर्षों का कुल अनुभव है। मेसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार पूर्व में एक निजी क्षेत्र के बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में भी जुड़े थे। मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार की नियुक्ति से संबंधित नियम और शर्ते उनके पारिश्रमिक सिहत, बोर्ड की लेखा परीक्षा सिमित द्वारा उनके (लेखा परीक्षक) के परामर्श से निर्धारित और अनुशंसित किए जा सकते हैं और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किए जा सकते हैं। उपरोक्त के आधार पर बैंक के बोर्ड की राय है कि मैसर्स धरम राज एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, कंपनी अधिनियम, 2013 द्वारा निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करते हैं और 98वीं वार्षिक आम सभा के समापन के बाद एक (1) वर्ष की अविध अर्थात् 99 वीं वार्षिक आम बैठक के समापन तक भारतीय रिज़र्व बैंक की स्वीकृति के अधीन उन्हें बैंक के केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त करना वांछनीय है। इसलिए एनबीएल बोर्ड कार्यसूची को सामान्य संकल्प के रूप में सदस्यों के समक्ष स्वीकृति हेत् सिफारिश करता है।

#### मद संख्या 3

नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएसआर) की सिफारिश के अनुसार, 17 दिसंबर, 2019 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्रीमती बिनीता शाह को बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में शुरुआती पांच वर्ष के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी। श्रीमती बिनीता शाह को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना उपयुक्त और उचित पाया जाता है। इसके अलावा, वो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से भी अयोग्य नहीं हैं और बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंडों को भी पूरा करती है।

श्रीमती बिनीता शाह के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए लाभकारी होगा। श्रीमती **बिनीता शाह** की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस सूचना के साथ अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है। श्रीमती बिनीता शाह बैंक के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं।

इस प्रकार, आपके निदेशक, सदस्यों के अनुमोदन के लिए, इस नोटिस के आइटम नंबर 3 में निर्धारित सामान्य सकंल्प के रूप में एजेंडे की सिफारिश करते हैं। श्रीमती बिनीता शाह को छोड़ कर उनके रिश्तेदारों (यदि कोई हो), बैंक के अन्य निदेशकों या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह इस सूचना की मद संख्या 3 में निर्धारित सामान्य संकल्प के पारित होने में रुचि नहीं रखते हैं।

#### मद संख्या 4

नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर)की सिफारिश के अनुसार, 17 दिसंबर 2019 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री संजय मुदलियार को बैंक के गैर-कार्यपालक - अतिरिक्त गैर-स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी जो इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक पदभार संभालेंगे। श्री संजय मुदलियार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त और उचित पाए जाते हैं। इसके अलावा, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है और बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। वह रोटेशन पर इस सेवा से मुक्त होन के लिए बाध्य होंगे।

श्री संजय मुदलियार के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए फायदेमंद होगा। श्री संजय मुदलियार की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस सूचना के अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है। श्री संजय मुदलियार बैंक ऑफ़ बड़ौदा में महाप्रबंधक हैं।

इसलिए, आपके निदेशक, सदस्यों के अनुमोदन के लिए, इस नोटिस के आइटम मद 4 में निर्धारित सामान्य संकल्प के रूप में कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री संजय मुदलियार को छोड़ कर, उनके रिश्तेदारों (यदि कोई हो) और बैंक ऑफ बड़ौदा और उसके नामांकित व्यक्तियों को, बैंक के अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से सामान्य संकल्प अध्यादेश के पारित होने में रुचि नहीं रखता है जैसा कि सूचना के मद संख्या 4 में उल्लेखित है।

#### मद संख्या 5

नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार 08 जून, 2020 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री एन.के. चारी को बैंक के एक गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में प्रारंभिक पांच (5) वर्षों के लिए नियुक्त को मंजूरी दी। श्री एन.के. चारी को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त किया जाना उपयुक्त और उचित पाया जाता है। इसके अलावा, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है और बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। वह कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित स्वतंत्र मानदंडों को भी पूरा करते हैं।

श्री एन.के. चारी के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यातमक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए लाभकारी होगा। श्री एन.के. चारी की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल को इस सूचना के साथ अनुलग्नक के रूप में में प्रदान किया गया है। श्री एन.के. चारी बैंक के किसी अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक से संबंधित नहीं हैं।

इसलिए, आपके निदेशक, सदस्यों के अनुमोदन के लिए, इस नोटिस की मद संख्या नंबर 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प के रूप में कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री एन.के. चारी को छोड़ कर, उनके रिश्तेदारों (यदि कोई हो), किसी भी अन्य निदेशक या बैंक के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदार किसी भी तरह से इस संकल्प की मद संख्या 5 में निर्धारित सामान्य संकल्प के पारित होने में रुचि नहीं रखते हैं।

#### मद संख्या 6

नामांकन और पारिश्रमिक और मानव संसाधन समिति (एनआरएचआर) की सिफारिश के अनुसार, 07 अगस्त, 2020 को हुई बैठक में निदेशक मंडल ने श्री जयदीप दत्ता राय को बैंक के गैर-कार्यकारी-अतिरिक्त स्वतंत्र निदेशक के रूप में इस वार्षिक आम बैठक की तिथि तक इस पद पर बने रहने के लिए नियुक्त करने की मंजूरी दी। श्री जयदीप दत्ता राय भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए उपयुक्त और उचित पाए गए हैं। इसके अलावा, उन्हें कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने से भी अयोग्य नहीं ठहराया गया है और बैंक के निदेशक के रूप में कार्य करने के लिए अपनी सहमति दी है। वह रोटेशन पर इस सेवा से मुक्त होने के लिए बाध्य होंगे।

श्री जयदीप दत्ता राय के पास बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 10 ए के संदर्भ में विशिष्ट कार्यात्मक क्षेत्रों में अपेक्षित योग्यता, कौशल, अनुभव और विशेषज्ञता है, जो बैंक के लिए लाभकारी होगा। श्री जयदीप दत्ता राय की संक्षिप्त प्रोफ़ाइल इस सूचना के साथ अनुलग्नक के रूप में प्रदान की गई है। श्री जयदीप दत्ता राय बैंक ऑफ़ बड़ौदा में मुख्य महाप्रबंधक हैं।

इस प्रकार, आपके निदेशक, सदस्यों के अनुमोदन के लिए, इस सूचना की मद संख्या नंबर 6 में निर्धारित सामान्य संकल्प के रूप में कार्यसूची की सिफारिश करते हैं। श्री जयदीप दत्ता राय को छोड़कर, उनके रिश्तेदारों (यदि कोई हो), और बैंक ऑफ़ बड़ौदा और उसके नामांकित व्यक्तियों, बैंक के अन्य निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक और उनके रिश्तेदारों में से कोई भी किसी भी तरह से इस सूचना की मद संख्या 6 में उल्लेखित सामान्य संकल्प को पारित करने में रुचि नहीं रखता है.

#### मद संख्या 7

केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों द्वारा सभी शाखा कार्यालयों की लेखा परीक्षा किया जाना व्यावहारिक नहीं है। इसलिए, यह प्रस्ताव किया गया कि केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के परामार्श से बैंक के उन शाखाओं हेतु लेखा परीक्षकों के रूप में योग्य व्यक्तियों को नियुक्त करने हेतु निदेशक मंडल को अधिकृत किया जाए, जो शाखाएँ केंद्रीय वैधानिक लेखा परीक्षकों दवारा लेखा परीक्षित नहीं हैं, जैसा कि बोर्ड उचित समझे.

कोई भी निदेशक या मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) या निदेशक / केएमपी के रिश्तेदार / संबंधित नोटिस के प्रस्तावों से संबद्ध या इच्छुक नहीं हैं। <u>टिप्पणिया</u>ँ

- क) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार एक व्याख्यात्मक वक्तव्य, जो आइटम नंबर 2 से 7 तक वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") के कार्य से संबंधित है, उसे इसके साथ संलग्न किया गया है।
- ख) कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण उत्पन्न होने वाली स्थिति के मद्देनजर, सामाजिक दूरी मानक का पालन किया जाना अनिवार्य है. कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ("एमसीए") ने अपने परिपत्र 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल 2020, परिपत्र संख्या 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल 2020 (एक साथ "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक (एजीएम) के आयोजन के संबंध में स्पष्टीकरण के संबंध में परिपत्र संख्या 20/2020 दिनांक 5 मई, 2020 में वीडियो कॉन्फ्रेंस अथवा अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से वार्षिक आम बैठक के आयोजन की अनुमित दी है और एजीएम के आयोजन के स्थान पर सदस्यों की व्यक्तिगत उपस्थित में छूट दी है. कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") और एमसीए परिपत्रों के प्रावधानों के अनुपालन में, बैंक की वार्षिक आम बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी। इसलिए, सदस्य वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आगामी एजीएम में भाग ले सकते हैं। नैनीताल में बैंक के कॉर्पोरेट कार्यालय को 98 वें एजीएम के स्थान के रूप में समझा जाएगा।
- ग.) ऐसे सदस्यों की ओर से जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो पाते हैं को उनकी तरफ से सामान्य बैठक में भाग लेने और मतदान करने के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 105 के तहत एक प्रॉक्सी को नियुक्त करने की अनुमित है. हालाँकि, एमसीए परिपन्नों के अनुपालन में, इस एजीएम के लिए प्रॉक्सी की नियुक्त की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एजीएम के लिए इस फ्रेमवर्क के तहत सदस्यों को व्यक्तिगत उपस्थित में छूट दी गई है। इसलिए, इस नोटिस में प्रॉक्सी और प्रॉक्सी फॉर्म से संबंधित निर्देश नहीं दिए गए हैं। हालाँकि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 112 और धारा 113 के अनुसरण में, वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजन किए जाने वाली वार्षिक साधारण बैठक में दूरस्थ ई-मतदान में भाग लेने या मतदान के उद्देश्य से कॉर्परेट सदस्यों के प्रतिनिधियों की नियुक्ति की जा सकती है.
- घ. )सदस्यों का रजिस्टर और बैंक की शेयर अंतरण पंजिका 04 सितम्बर, 2020 से 10 सितम्बर, 2020 तक (दोनों दिन सम्मिलित) बंद रहेंगे।
- ड.) एजीएम में भाग लेने वाले संयुक्त धारकों के मामले में केवल ऐसे संयुक्त धारक जिनका नाम नामों के क्रम में पहली बार प्रकट होता है मतदान के अधिकारी होंगे। कॉर्पोरेट सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने प्रतिनिधि (यों) को एजीएम में उनकी ओर से उपस्थित होने और मतदान करने के लिए प्राधिकृत करते हुए बोर्ड प्रस्ताव की विधिवत प्रमाणित प्रति भेजें।

- च) बैंक ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसके अलावा परिपत्र सं. डी.ओ.आर.बीपी.बीसी.संख्या.64 / 21.02.067 / 2019-20 दिनांक 17 अप्रैल, 2020 के अनुसार आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष से संबंधित लाभ मे से आगे कोई लाभांश भ्गतान नहीं किया जाए।
- छ) उन अंशधारकों, जिन्होंने वित्तवर्ष 2011-2012 से 2018-2019 तक के अपने लाभाश अधिपत्रों को नहीं भुनाया है, से अनुरोध है कि वे इन्हें तुरंत पुनः वैधीकरण हेतु बैंक को भेज दें। आगे, निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि प्राधिकरण (लेखा, लेखा परीक्षा, स्थानांतरण और वापसी) नियम, 2016 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 124 (6) के अनुसार, इक्विटी शेयर्स जिनके संबंध में लगातार सात वर्षों तक लाभांश का दावा नहीं किया गया है, उन्हें बैंक द्वारा (आई.ई.पी.एफ) प्राधिकरण के नामित डीमैट खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। सदस्य कृपया ध्यान दें कि अनिधयाचित लाभांश एवं संगत शेयर जो कि आई ई. पी. एफ. प्राधिकरण के डी मैट खाते में अन्तरित किये जा चुके हैं , तथा उन पर अर्जित होने वाले लाभ यदि कोई हैं ,आई ई. पी एफ अथॉरिटी से आई ई. पी एफ नियमो के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर वापस प्राप्त किये जा सकते हैं
- ज) सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते, ईमेल और अन्य विवरणों में या आरटीए में बदलाव के लिए अपने फोलियो नंबर को उद्धृत करते हुए तत्काल बैंक को सूचित करें।
- झ) चूंकि एजीएम वीसी या ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जाएगी, इसलिए इसके लिए सूचना में एजीएम के स्थान का रूट मैप और लैंडमार्क प्रदान करने की आवश्यकता इस एजीएम के लिए लागू नहीं होती है।
- ज) बैंक के वार्षिक खातों से सम्बन्धित प्रश्न/जानकारियाँ आदि सार्वजनिक विवरण जिसकी, सदस्यगण जानकारी चाहते हों अधोहस्ताक्षरी को कम से कम 3 दिन पूर्व (सभा के दिन को छोड़ कर ) सूचित करें ताकि बैंक द्वारा जानकारी तैयार रखी जा सके।
- ट) संलग्न नोटिस में संदर्भित सभी दस्तावेज एवं व्याख्यात्मक विवरण बैंक के पंजीकृत कार्यालय में वार्षिक आम बैठक के दिन तक सभी कार्यदिवसों पर कामकाज के समय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे, यदि कोविड-19 के कारण क्षेत्र में कोई प्रतिबंध न लगाय गया हो।
- य) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम 2014 की नियम 18 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के नियम 101 के प्रावधानों के अनुपालन में, यह नोटिस और बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ई-मेल द्वारा भेजी जाएगी। इसलिए, हम सदस्यों से अनुरोध करते हैं कि वे अपना ईमेल पता डीपी (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) या कार्वी (भौतिक शेयर होल्डिंग के मामले में) या बैंक के साथ आपके डीमैट खाते/फोलियो संख्या का उल्लेख करते हुए पंजीकृत करें।
- र) शेयर धारक भौतिक रूप में धारण किये गए शेयरों के हस्तांतरण के बारे में या उनकी शिकायतों को, यदि कोई हो, अवगत कराने के लिए निम्न लिखित पते पर लिख सकते हैं::

सीआईएन: U65923UR1922PLC000234

कॉर्पोरेट कार्यालय:-कंपनी सचिव

नैनीताल बैंक लिमिटेड

सेवन ओक्स बिल्डिंग, मल्लीताल, नैनीताल -263001

वेबसाइट: www.nainitalbank.co.in फोन नं. No. : 05942-233739 ईमेल: <u>cs@nainitalbank.co.in</u> मेसर्स कार्वी फिनटेक (पी) लिमिटेड

कार्वी सेलेनियम टॉवर बी,, प्लॉट 31-32, गाचीबोवली,

फाइनेंसियल डिस्ट्रीक, नानकरामगुडा,

हैदराबाद - 500 032.

फोन नं. : 1800-345-4001 /+91-40-6716 2222

फैक्स नं.: +91-40 – 2300 1153 ईमेल: hanumantha.patri@karvy.com

संपर्क करें: श्री हनुमंथा श्री विनोद सिंह नेगी

#### ल) <u>दरस्थ ई-वोटिंगः</u>

- (i) कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 के साथ पठित, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 108 के अनुपालन में, संशोधन के अनुसार, बैंक को कार्वी के माध्यम से दूरस्थ ई-वोटिंग सुविधा प्रदान करने में प्रसन्नता हो रही है, तािक उसके सदस्यों को नोटिस में निर्धारित सभी विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक रूप से उनके वोट डालने की स्विधा मिल सके। दूरस्थ ई-वोटिंग वैकल्पिक है।
- (ii) बैंक ने निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से दूरस्थ ई-मतदान प्रक्रिया के संचालन के लिए सुश्री जया यादव, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव (सदस्यता संख्या ए24582, सीओपी-12070), या उसके अनुपलब्ध होने की दशा में, श्री हिमांशु गुप्ता, प्रैक्टिसिंग अधिवक्ता (सदस्यता संख्या डी/3139/2014) को संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।
- (iii) शेयरधारकों के वोटिंग अधिकार उनके द्वारा धारण किये गए शेयर्स से, बैंक द्वारा अंतिम तारीख अर्थात सितंबर 3, 2020 जारी किए गए और भुगतान किए गए इक्विटी शेयर पूंजी के अनुपात में, तथा बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा के प्रावधानों के अधीन और भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र संख्या 97/16.13.100/2015-16 दिनांक 12 मई 2016 के अधीन होंगे।
- (iv) वह व्यक्ति जो उक्त अंतिम तारीख को सदस्य नहीं है, वह मतदान का अधिकारी नहीं होगा और उसे इस नोटिस को केवल सूचना उद्देश्य के लिए समझना चाहिए।
  - दूरस्थ ई-मतदान के निर्देश निम्नानुसार हैं:
  - √ ई-मेल द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:
  - ✓ ई-मेल में बताए गए लॉग इन क्रेडेंशियल (अर्थात, यूजर आईडी और पासवर्ड) दर्ज करें, आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी। कृपया ध्यान दें कि पासवर्ड एक प्रारंभिक पासवर्ड है।
  - √ दूरस्थ ई-वोटिंग के लिए निम्नलिखित (यूआरएल) का उपयोग करें: कार्वी की वेबसाइट: http://evoting.karvy.com से।
  - ✓ बैंक के शेयरधारक जो या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, कट-ऑफ तिथि पर शेयरों को धारण करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाल मकते हैं।
  - 🗸 लॉग इन क्रेडेंशियल दर्ज करें। आपका फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी आपकी यूजर आईडी होगी।
  - ✓ विवरण उचित रूप से दर्ज करने के बाद, लॉगिन पर क्लिक करें।
  - ✓ मतदान पृष्ठ पर, पक्षा/विपक्ष (फॉर/अगेंस्ट) के तहत उक्त कट-ऑफ तिथि के अनुसार शेयरों की संख्या दर्ज करें या वैकल्पिक रूप से आप आंशिक रूप से कोई भी संख्या फॉर के लिए और आंशिक रूप से अगेंस्ट में कोई भी संख्या प्रवेश कर सकते हैं लेकिन पक्षा/विपक्ष (फॉर/अगेंस्ट) में कुल संख्या उक्त

कट-ऑफ तिथि के अनुसार, आपके कुल शेयरधारिता से अधिक नहीं होनी चाहिए। आप उक्त प्रक्रिया से अलग रहने (abstain) का विकल्प भी चुन सकते हैं।

- 🗸 कई फोलियो/डीमैट खाते वाले शेयरधारक प्रत्येक फोलियो/डीमैट खाते के लिए अलग से मतदान प्रक्रिया का चयन करेंगे।
- √ एक उपयुक्त विकल्प चुनकर अपना वोट दीजिये और सबमिट पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। संशोधित करने के लिए कैंसल और पुष्टि करने के लिए ओके क्लिक करें। एक बार पुष्टि करने के बाद, आपको अपना वोट संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतदान की अविधि के दौरान, शेयरधारक मनचाही बार लॉगिन कर सकते हैं जब तक कि उन्होंने संकल्प पर मतदान नहीं किया हो।
- 🗸 शेयरधारक द्वारा एक बार संकल्प पर वोट दिए जाने के बाद, उसे बाद में इसे बदलने की अन्मति नहीं दी जाएगी।
- ✓ दूरस्थ ई-वोटिंग की अविधि 7 सितंबर, 2020 (सुबह 09:00 बजे) पर शुरू होगी और 9 सितंबर, 2020 (सायं 5:00 बजे) पर समाप्त होगी। इस अविधि के दौरान, बैंक के शेयरहोल्डर्स, जो कि कट-ऑफ तारीख 4 सितंबर, 2020 पर या तो भौतिक रूप में या विमुद्रीकृत रूप में, शेयर धारण करते हैं इलेक्ट्रॉनिक तरीके से अपना वोट डाल सकते हैं। दूरस्थ ई-मतदान मॉड्यूल को कार्वी द्वारा मतदान के बाद अक्षम कर दिया जाएगा। एक बार शेयरधारक द्वारा एक प्रस्ताव पर वोट डाले जाने के बाद शेयरधारक को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी। इसके अलावा, जिन शेयरधारकों ने इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना वोट डाला है, वे भी बैठक में भाग ले सकते हैं, हालांकि वे बैठक में फिर से मतदान करने में सक्षम नहीं होंगे।
- ✓ ई-वोटिंग के बारे में किसी भी स्पष्टीकरण के लिए कृपया कार्वी कंप्यूटरशेयर प्राइवेट लिमिटेड या उनके द्वारा अधिकृत श्री. हनुमंथा या श्री. विनोद सिंह नेगी से संपर्क करें।
- ✓ डाक/कृरियर द्वारा नोटिस प्राप्त करने वाले सदस्यों के मामले में:
- 🗸 प्रारंभिक पासवर्ड, निम्नान्सार, बैठक की उपस्थिति पर्ची में प्रदान किया गया है।

3	<del>-</del>	
कार्यक्रम		
(ई-वोटिंग इवेंट नंबर)	यूजर आईडी	पासवर्ड/पिन

🗸 इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपना वोट डालने के लिए कृपया ऊपर बताए गए चरणों का पालन करें।

vi.परिणाम भारत के कंपनी सचिवों की संस्था द्वारा आम सभाओं पर जारी सचिवीय मानक -2 के अनुसार शेयरधारकों को सूचित किए जाएंगे और बैंक की वेबसाइट यानी www.nainitalbank.co.in पर अपलोड किए जाएंगे। परिणाम बैंक के पंजीकृत और कॉर्पोरेट कार्यालयों में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

## सदस्य कृपया यह ध्यान दें कि वार्षिक साधारण बैठक हेतु कोई भी उपहार/कृपन नहीं दिया/भेजा जायेगा।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

स्थानः नैनीताल दिनांकः 19 अगस्त, 2020 (दिनेश पंत) अध्यक्ष एवं सीईओ

(Please Note that In case of any discrepancy between English and Hindi version - Engish Version shall be considered and treated as Final)

## आम बैठकों पर सचिवालयिक मानकों (एसएस-2) के संबंध में वार्षिक आम बैठक में निदेशकों की नियुक्ति/ पुनः-नियुक्ति का विवरण

नाम	सुश्री बिनीता शाह	श्री संजय मुदलियार	श्री एन.के.चारी	श्री जयदीप दत्ता राय
डीआईएन नंबर	01538965	07484086	07409731	08055872
नियुक्ति की तारीख	17.12.2019	17.12.2019	08.06.2020	07.08.2020
शैक्षणिक योग्यता	आप देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से कला में स्नातक हैं। इसके साथ देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इंदौर से पत्रकारिता और संचार में स्नातकोत्तर और सिक्किम मणिपाल विश्वविद्यालय से परिस्थिति विज्ञान और पर्यावरण में स्नातकोत्तर हैं।	आप भोपाल विश्वविद्यालय से विज्ञान में स्नातक हैं। आपने आगे नागपुर विश्वविद्यालय से कंप्यूटर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विशेषज्ञता हासिल की। आपने वाणिज्य मंत्रालय, यूनाइटेड किंगडम से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट "प्रिंस 2" में एक औपचारिक प्रशिक्षण और प्रमाणन भी किया है।	आपने श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय, भारत से वाणिज्य में स्नात्कोत्तर की डिग्री प्राप्त की है. आप भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणपत्रित एसोसिएट हैं और आपको कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, लॉस एंजिल्स (एक्सटेंशन), यूएसए से सामान्य व्यवसाय (वित्त) अवार्ड प्राप्त हुआ।	आप दिल्ली विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में स्नातक हैं। इसके अलावा आप मुंबई विश्वविद्यालय के नरसी मोनजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से कानून में स्नातक और एचआर में एमबीए हैं। आप भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के वार्षिक एचआर उत्कृष्टता पुरस्कारों के लिए एक प्रमाणित मूल्यांकनकर्ता हैं।
विशेषज्ञता सहित संक्षिप्त परिचय	आप देश के तीन राज्यों में जैविक और बायोडायनामिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए 2005 से एसएआरजी विकास समिति, एक गैर लाभ संस्थान का नेतृत्व करती हैं. एसएआरजी देश भर में 100,000 किसानों के साथ काम करता है। एसएआरजी 2016 से कौशल विकास मिशन, उत्तराखंड के साथ-साथ राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, भारत सरकार के साथ एक प्रशिक्षण भागीदार है। एसएआरजी महाराष्ट्र, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में जैविक कृषि के लिए परम्परिक कृषि विकास योजना ( पीकेवीवाई) के लिए एक क्षेत्रीय परिषद और सेवा प्रदाता है। आप सतत विकास मंच उत्तराखंड में सचिव हैं। आप उत्तराखंड कृषि विपणन बोर्ड के साथ स्वतंत्र सलाहकार हैं। आप कई जैविक खाद्य निर्यात कंपनियों में अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं। आप बायोडायनामिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बेंगलोर की संस्थापक सदस्य हैं. आप ऑल इंडिया बायोडायनामिक एंड ऑगेंनिक एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इंदौर की संस्थापक सदस्य हैं। आप 'सर्किल ऑफ रिप्रेजेंटेटिक्स' अंतर्राष्ट्रीय बायोडायनामिक फॉरम, जियोथीनम, स्विट्जरलैंड के साथ भारत की प्रतिनिधि हैं। ऑगेंनिक उत्तराखंड 2018-19 के लिए रणनीति तैयार करने के लिए यूएनडीपी राज्य कार्यालय, उत्तराखंड के साथ सलाहकार हैं. आप स्टेट उत्तराखंड ऑगेंनिक कमोडिटी बोर्ड (यूओसीबी), देहरादून की संस्थापक सदस्य और सीईओ (देश में पहली बार) हैं।	आपको सॉफ्टवेयर उद्योग, विनर्माण इकाई, मानव सेटलमेंट में वैज्ञानिक अनुसंधान पर काम करने वाले एनजीओ के संबंध में विविध अनुभव है। इन असाइनमेंट में, आपने डेटा विश्लेषण, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन और प्रक्रिया में सुधार के क्षेत्रों में काम किया है। इसके बाद, आप बैंकिंग क्षेत्र में शामिल हो गए और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और बैंक ऑफ़ बड़ौदा में आपके दो अलग-अलग कार्यकाल रहे।  बैंकिंग में, आपको प्रौद्योगिकी के साथ-साथ बैंकिंग कार्यों में काम करने का अवसर मिला। आपको बैंक ऑफ़ बड़ौदा में डिजिटल बैंकिंग और ई-बैंकिंग वर्टिकल शुरू करने का सुअवसर मिला। आपने प्रौद्योगिकी प्रमुख के रूप में लंदन में चार साल का कार्यकाल भी पूरा किया। आपने मुंबई में क्षेत्रीय प्रबंधक और बेंगलुरु में उप-अंचल प्रबंधक के रूप में काम किया। आप वर्तमान में बैंक ऑफ़ बड़ौदा के अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संचालन का नेतृत्व कर रहे हैं।	आपको भारतीय स्टेट बैंक में अपनी सेवा के दौरान परिचालन, ऋण, शाखा बैंकिंग, पफॉर्मेंस बजट, निगरानी और विभिन्न क्षमताओं में शाखाओं और क्षेत्रों पर नियंत्रण का लगभग 39 वर्षों का विविध अनुभव है। आपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों परिवृश्यों में रिटेल और कॉपोरेट क्रेडिट को संभाला और आप एसबीआई में एचआर प्रबंधन का भी हिस्सा रहे। एसबीआई में अपनी सेवा के दौरान, आपने नेपाल एसबीआई लिमिटेड, काठमांडू के एमडी का पद संभाला और एसबीआई की दो अनुषंगियों - एसबीआई काई और भुगतान सेवा (क्रेडिट कार्ड कंपनी) और एसबीआई कैपिटल मार्केट सिक्योरिटीज़ (सिक्योरिटीज़ मार्केट में डीलिंग) में निदेशक भी रहे। आपने एसबीआई के सहयोगी स्टेट बैंक ऑफ मैस्र (एसबीएम) में प्रतिनियुक्ति पर प्रबंध निदेशक का पद भी संभाला और एसबीआई में लौटने के बाद आप 31 अगस्त 2017 को एसबीआई से उप प्रबंध निदेशक (डीएमडी) के रूप में सेवानिवृत्त हुए।	आप लगभग 25 वर्षों से मूलतः एक बैंकर हैं. आप वर्तमान में भारत के प्रमुख सार्वजनिक बैंकों में से एक बैंक ऑफ़ बड़ौदा में स्ट्रैटेजिक एचआर, सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी हैं। बैंक ऑफ़ बड़ौदा में एक मानव संसाधन विशेषज्ञ के रूप में कार्यग्रहण करने के बाद, आपने बैंक में विभिन्न स्तरों पर विभिन्न मानव संसाधन जातिविधियों को संभाला है और बैंक के लिए कई प्रमुख एचआर परियोजनाओं और पहलों का नेतृत्व करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने बैंक के लिए विभिन्न व्यावसायिक परियोजनाओं को सफलतापूर्वक शुरू किया और कार्यान्वित किया जैसे व्यावसायिक प्रक्रिया पुनर्रचना परियोजना, प्रोजेक्ट नवनिर्माण, प्रोजेक्ट उड़ान, एक व्यापक मानव संसाधन रूपांतरण प्रोजेक्ट 'स्पर्शप्लस', आदि।  आपके पास बैंक ऑफ़ बड़ौदा के देहरादून और बरेली क्षेत्रों के क्षेत्रीय प्रमुख के रूप में बहुत ही सफल कार्यकाल का अनुभव भी हैं।
अन्य कंपनियों में निदेशक का पदभार	सुपा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य
निदेशकों के बीच किसी संबंध का प्रकटीकरण	बैंक के किसी भी निदेशक से संबद्ध नहीं हैं।	बैंक के किसी भी निदेशक से संबद्ध नहीं हैं. आप बैंक ऑफ़ बड़ौदा से संबद्ध है।	बैंक के किसी भी निदेशक से संबद्ध नहीं हैं.	बैंक के किसी भी निदेशक से संबद्घ नहीं हैं. आप बैक ऑफ बडौटा से संबद है।
31.03.2020 तक बैंक में धारित शेयरों की संख्या	शून्य	150	शून्य	150